FORM NO.III
फर्द अहकाम
(नियम 28)
अज अदालत :– जिला कलेक्टर पाली

प्रार्थी	अप्रार्थी
1. वरदाराम पुत्र पुनारामजी, जाति रेबारी, निवासी– बलाना, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राज.)	तहसीलदार महोदय सुमेरपुर

किस्म मुकदमा राजस्व विविध 83/2020

GCMS No. :-- 2020/00317

अन्तर्गत धारा 81 भू. राजस्व अधिनियम स्थगन प्रार्थना पत्र

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21-12-20	प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 81 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत कर तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रकरण संख्या 600/2020 सरकार बनाम वरदाराम में पारित आदेश दिनॉंक 09.11.2020 के विरूद्ध स्थगन आदेश पारित कराने हेतु निवेदन किया है।	

वकील प्रार्थी द्वारा वक्त बहस कथन किया गया की अपीलाधीन निर्णय एक गरीब काश्तकार के विरूद्ध परिवार का अकेला कमाने वाला व्यक्ति है के विरूद्ध पारित कर जेल भेज दिया गया है जबकि अप्रार्थी को नोटिस प्रॉपर तामील नहीं कराया गया था। न ही प्रार्थी को मातहत अदालत से कोई नोटिस ही मिला है। इस प्रकार प्रार्थी को सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किए बगैर ही निर्णय पारित कर दिया है जो विधी के सिद्धान्तों के विपरीत है। प्रकरण नायब तहसीलदार के न्यायालय में दर्ज किया गया एवं अपना निर्णय तहसीलदार द्वारा किया गया प्रकरण अंतरित नहीं किया गया है। न ही विधिक प्रक्रिया अपनाई गई हैं। नोटिस दिनॉंक 29.10.2020 को उपस्थित रहने हेतु दिया गया एवं प्रकरण उस दिवस को नियत नहीं रखा गया जबकि दिनॉंक 09.11.2020 को रखा जाकर निर्णित किया गया है। जो अवैध एवं शुन्यवृत होने से अपास्त योग्य है। प्रार्थी को पश्चातवृती अतिक्रमी मानते हुए आदेश पारित किया गया है पश्चातवृती अतिक्रमण का साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है निर्णय में ही उल्लेख किया गया है। पूर्व में भौतिक रूप से बेदखल किए जाने बाबत रिपोर्ट मूल या प्रति पत्रावली में संलग्न नहीं है। प्रार्थी का कब्जा काबिल नियमन है। प्रार्थी को तीन दशकों से उक्त भूमी पर कब्जा काश्त है प्रार्थी भूमी हीन काश्तकार है एवं प्रार्थी राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार नियमन करवाने का अधिकारी है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर मातहत अदालत द्वारा पारित आदेश की पालना प्रभाव एवं क्रियान्विती को स्थगित करने के आदेश जारी करावे।

बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा वक्त बहस उल्लेखित तथ्य अपील से सम्बन्धित है अतिक्रमित आराजी ग्राम बलाना तहसील सुमेरपुर खसरा नम्बर 568/1357 रकबा 1.30 हैक्टेयर चाही दोयम की भूमी है इस बात की ताईद वकील प्रार्थी एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय से उक्त भूमी का सरकारी चाही दोयम होना स्पष्ट होने से प्रार्थी के हक में स्थगन दिया जाना न्यायोचित नहीं है एवं भूमी चाही दोयम राजकीय भूमी होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है तथा उक्त भू[illegible] सरकारी होने से प्रार्थी को किसी प्रकार की क्षति होने [illegible] नहीं है उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए [illegible] जारी आदेश दिनांक 09.11.2020 के [illegible] जारी किया जाना उचित नहीं होने से [illegible] स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

स्थगन पत्रावली शुमार फैसल की जाकर इस न्यायालय से नम्बर से कम हो एवं मूल अपील के संलग्न की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:41:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, पाली